तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6230/2006/जोधपुर चौथा राम बनाम श्रीमती खैरून	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 03.07.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–08–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र पर सभी पक्षकारान को सुने बिना स्थगन पर कोई आदेश दिया जाना उचित नहीं होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब करने एवं रेस्पोडेन्ट को तलब किये जाने का आदेश पारित करते हुए अपील में आगामी तारीख पेशी नियत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रथम अपील राईट आफ पार्टी होती है इस कारण जब उनके द्वारा विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब करने का आदेश प्रदान कर दिया था तो उन्हें न्यायहित में स्थगन आदेश भी जारी करना चाहिए था। उनका कथन है कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर68 के खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज है तथा विवादित आराजी का सीमाज्ञान करवाया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6230/2006/जोधपुर चौथा राम बनाम श्रीमती खैरून	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जा चुका है। विपक्षीगण को जो भूमि खनन हेतु आवंटित हुई है वो खसरा नम्बर प्रार्थीगण की आराजी से भिन्न है तथा अप्रार्थीगण उनके पक्षकार की आराजी में हस्तक्षेप करते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन रहते विवादित आराजी बाबत् अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाना आवश्यक था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र पर कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं कर तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है तथा माननीय न्यायालय अधिनियम की धारा 221 में प्रदत्त अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर ऐसे आदेशों को न्यायहित में निरस्त कर सकती है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अन्तर्गत मण्डल को प्रदत्त अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर मूल अपील के अन्तिम निर्णय तक विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश निर्णीत प्रकरण की श्रेणी में नहीं आकर अन्तरिम आदेश की परिधि में आता है, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी मण्डल के समक्ष संधारण योग्य नहीं होती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6230/2006/जोधपुर चौथा राम बनाम श्रीमती खैरून	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय के समक्ष वादीगण प्रार्थीगण ने विवादित आराजी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 195 की धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थनापत्र को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26-07-2006 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश के विरूद्ध वादीगण प्रार्थीगाण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र पर सभी पक्षकारान को सुने बिना स्थगन बाबत् किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब करने एवं रेस्पोडेन्ट को तलब किये जाने का आदेश पारित करते हुए अपील में आगामी तारीख पेशी नियत की गयी है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निर्णीत प्रकरण की श्रेणी में नही आकर अन्तरिम आदेश की श्रेणी में आता है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी मण्डल में संधारण योग्य नहीं है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को नियमानुसार भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल नेहरा)
सदस्य